

परिशिष्ट-2

नवीनीकरण हेतु सदस्यता शुल्क को जमा करने की विधि।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने खुद के हित में नीचे दिए गए दिशानिर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें और कोई किठनाई होने की स्थिति में तत्काल परिषद से संपर्क करें।

- वेबसाइट पर उपलब्ध चालान के प्रिंटआउट पर विधिवत मुहर लगी हो और उस पर भागीदार/मालिक/फर्म के निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए गए होने चाहिए।
- सदस्यता, बैंक में चेक के भुगतान बाद ही दी जाएगी, न की बैंक में चेक/डीडी/पे आर्डर जमा करने के तारीख के आधार पर।
- 3. यदि किसी भी सदस्य को सदस्यता प्रमाण-पत्र की तत्काल आवश्यकता हो तो वे देय सदस्य शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट या भुगतान आदेश द्वारा ''रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद' के नाम से क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली में जमा कराए।
- 4. वेबसाइट से चालान की तीन प्रतियों को मुद्रित किया जा सकता है, ओर उसे सदस्यता शुल्क के साथ केवल क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली में भेजें।
- 5. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने स्वयं के रिकार्ड के लिए चालान की एक फोटोकॉपी अपने पास रख लें।
- 6. निर्यात/आयात की घोषणा चालान के निगमित शामिल मामले के रुप मालिक/भागीदार/निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए और फर्म की मुहर के साथ बिना किसी भी गलती के जमा किया जाना चाहिए। हर ऐसे स्वयं घोषणा को परिषद द्वारा सही और वैध अर्थ लगाया जाएगा और इस प्रकार सरकार के एक प्राधिकारी या संस्था की तरह के तहत आदेश प्रसार के लिए माना जाएगा। ऐसे किसी त्रुटिपूर्ण घोषणा के सदस्य परिषद को क्षतिरहित रखने के लिए सहमत हैं, जो कि सुरक्षित और हानिरहित होने के साथ किसी भी तीसरे पक्ष के आयात/निर्यात के घोषित दावे के प्रसार में से यदि कोई भी झूठ निकला तो यह झूठ की क्षतिपूर्ती सदस्य की जिम्मेदारी होगी।
- 8. दिल्ली/नई दिल्ली के बाहर के सदस्यों को अपने सदस्यता आवेदन पत्र तथा चालान को ''रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद' के पक्ष में नई दिल्ली में देय वर्ष 2014-15 हेतू देय कुल राशि के डिमांड ड्राफ्ट के साथ क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली को भेजना चाहिए।
- 9. प्रशासनिक सिमिति के चुनाव में मतदान करने/सहभागी होने के लिए साधारण सदस्यो को अपने सदस्यता का नवीनीकरण 30 अप्रैल 2014 से पहले करवाना अनिवार्य है।
- 10. परिषद द्वारा पैनल में बदलाव संबन्धित आवेदन बैंक द्वारा सत्यापित हस्ताक्षर स्लिप के साथ 30 अप्रैल 2014 तक स्वीकार किया जाएगा। संबंधित प्रक्रिया परिषद के बेवसाइट के सदस्यता डैशबोर्ड पर उपलब्ध है।

समाप्त

रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद The Gem & Jewellery Export Promotion Council

क्षेत्रीय कार्यालयः **F-17-18**, फ़्लैटेड फ़ैक्टरिज़ कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान, नई दिल्ली—110 055, (भारत)

Regional Office : F-17-18, Flatted Factories Complex,
Jhandewalan, New Delhi-110 055. (India)

फोन / Tel. : 91-11-4626 6920 to 4626 6926 फैक्स / Fax : 91-11-2367 5274 ई–मेल / E-mail : delhi@gjepcindia.com वेबसाइट / Website : www.gjepc.org मुख्य कार्यालयः टॉवर—अं, अंडब्ल्यु—1010, जी. ब्लॉक, भारत डायमंड बोर्स,

बान्द्रा—कुर्ला कॉम्प्लैक्स, बान्द्रा (पूर्वे), मुंबई — ४०० ०५१. (भारत)

Head Office: Tower-A, AW-1010, G Block, Bharat Diamond Bourse, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051. (India)

फोन / Tel.: 91-22-2654 4600 फैक्स / Fax: 91-22-2652 4764. ई–मेल / E-mail: gjepc@vsnl.com / ho@gjepcindia.com वेबसाइट / Website: www.gjepc.org